रामगंजमण्डी, (निसं)। शहर चलो अभियान 2025 के तहत 4 सितम्बर गुरुवार को सामुदायिक भवन खैराबाद बस स्टेण्ड में एक दिवसीय प्री-केम्प का आयोजन किया गया।

कविताओं से जन-जन में स्वतंत्रता की चेतना जगाई : बिरला

कोटा, । लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं लोकनायक स्व. भैरवलाल काला बादल ने अपने गीतों और साहित्य से हाड़ौती की ढाणियों और गांवों में स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाई। आजादी की लड़ाई में उनकी प्रेरणा से हाड़ौती क्षेत्र ने भी अहम योगदान दिया। शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव और नई चेतना लाने के उनके विचारों को मूर्त रूप देते हुए ही आदिवासी-मीणा समाज ने कोटा के रानपुर में देश का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया है। लोकसभा अध्यक्ष गुरुवार को जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर में आयोजित काला बादल जयंती समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग से बना यह विश्वविद्यालय भविष्य में अपनी अलग पहचान कायम करेगा। यहां तकनीकी एवं प्रोफेशनल कोर्स शुरू किये जा रहे हैं और आने वाले वर्षों में प्रदेशभर से आदिवासी छात्र-छात्राएं यहां शिक्षा प्राप्त कर क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेंगे। गीतों, कविताओं से जन-जन में स्वतंत्रता की चेतना बिरला ने कहा कि भैरवलाल 'कालाबादल' जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गीतों और कविताओं के माध्यम से जन-जन में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। गाँव-गाँव और ढाणी-ढाणी में जाकर उन्होंने अंठोजों के विरुद्ध जनजागरण किया और लोगों को स्वतंत्रता संठाम से जोड़ा। विधायक और मंत्री रहते हुए भी उनकी सादगी, सेवा और साहित्यिक योगदान आज भी समाज के लिए आदर्श है। बिरला ने कहा कि कालाबादल जी के प्रयासों से शिक्षा का महत्व आदिवासी समाज में गहराई से स्थापित हुआ।उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले और उपखंड स्तर पर प्राथमिकता से छात्रावास खोले जाएंगे। रानपुर को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में तेजी से काम होगा। यहां पहले से ट्रिपल आईटी है, आगे और विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान स्थापित होंगे। श्री बिरला ने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार इनके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगी। विद्यालयों में कंप्यूटर लैब और आधुनिक सुविधाएं देकर छात्रों की प्रतिस्पर्धी क्षमताएं बढ़ाई जाएंगी। कार्यक्रम में केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने कहा कि विश्वविद्यालय में कन्या छात्रावास निर्माण के लिए यदि राज्य सरकार आर्टिकल 275 के तहत प्रस्ताव भेजेगी तो उस पर सकारात्मक निर्णय होगा। इस अवसर पर जिला कलक्टर पीयूष समारिया, मीणा समाज के गणमान्यजन, समिति पदाधिकारी और विश्वविद्यालय निर्माण में योगदान देने वाले भामाशाह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष और केन्द्रीय जनजाति मंत्री ने विश्वविद्यालय की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। इससे पहले अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानी स्व. भैरुलाल काला बादल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पूर्व छत्रपुरा स्थित कालाबादल की प्रतिमा पर भी स्पीकर बिरला ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

कुष्ठ रोगी खोजी अभियान 8 से

कोटा, (निसं.)। कुष्ठ रोग मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 8 से 21 सितम्बर तक कोटा सहित प्रदेश के 8 जिलों में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान चलाया जाएगा। ताकि समाज में छिपे हुए कुष्ठ रोगियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर उनको उपचार दिलाया जा सकें। सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नागर ने बताया कि अभियान के दौरान घर-घर सर्वे कर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की कुष्ठ रोग के संदर्भ में स्क्रीनिंग की जाएगी। सर्वे के लिए 1311 टीमें बनाई गई हैं। जिनमें एक महिला आशा सहयोगिनी और एक पुरूष वॉलियंटर रहेगा। इनके सूपरविजन के लिए 308 सूपरवाइजर भी रहेगें। कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ.घनश्यमाम मीना ने बताया कि कुष्ठ रोग से बचाव-उपचार के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। सर्वे के दौरान संदिग्ध कुष्ठ रोगियों को उपचार के लिए नजदीक के सीएचसी, पीएचसी व मेडिकल कॉलेज स्तर पर रैफर किया जाएगा।

PUBLIC NOTICE

Bajaj Auto Credit Limited, having its registered office at **Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune-411035,** hereby informs its customers and concerned, that its office located at Bajaj Auto Credit Limited, C/O Kamal Auto Industries, Bajaj Show Room, Jhalawar Road, Opp. Airport Aerodrome Circle, KOTA, 324007 will be closing with effect from **10th Dec. 2025.**

Closing Date: 10-12-2025
Place: Kota

सूचना

हमारा पुत्र ईशव पालरेचा सेंटपाल स्कूल बल्लभ नगर कोटा में अध्ययन करता है। स्कूल के रिकार्ड में पिता का नाम मनोज एवं माता का नाम नीतू है। अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम मनोज पालरेचा एवं माता का नाम नीतू पालरेचा है। स्कूल के रिकार्ड में ये नाम संशोधित करें।

मनोज पालरेचा 318 A, तलवन्डी कोटा
मो.नं. 9352618338

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार बैंक ऑफ इंडिया को नई शाखा खोलने के परिसर की आवश्यकता होने के कारण श्री चन्द्रप्रकाश नन्दवाना पुत्र श्री कृष्ण चन्द जी नन्दवाना की एक संपत्ति जो कि कैथून, कोटा सांगोद रोड जिला कोटा (राज.) पर स्थित है, को श्री चन्द्र प्रकाश नन्दवाना के आवेदन पर लीज पर लेने के इच्छुक है। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति पर चन्द्रप्रकाश जी विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से काबिजहै। इस प्रकार उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार, बैंक ऑफ इंडिया की कैथून शाखा के लिए लीज पर लिया जाना प्रस्तावित है, इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में मुझे सूचित करें। मियाद गुजरने उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरे पक्षकार बैंक ऑफ इंडिया उक्त संपत्ति को लीज पर लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

दिनांक: 03.09.2025

भवदीय
महेन्द्र राय जैन, एडवोकेट

विधिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार विपीन कुमार शर्मा पुत्र श्री हरीश चन्द्र शर्मा के आधिपत्य एवं स्वामित्व का एक मकान, मकान/प्लाट न. 45, वाके उत्तम नगर, ग्राम देवली अरब, जिला कोटा, राजस्थान में स्थित है यह कि उक्त मकान/प्लाट मेरे पक्षकार को उनकी माता स्व. सरोज शर्मा कि मृत्यु के पश्चात् जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 01.09.2025 से प्राप्त हुआ था। उक्त हकत्याग पत्र में वर्णित स्व. सरोज शर्मा के विधिक वारिसान के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विधिक वारिस हो तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करावें।

यह कि मेरे पक्षकार द्वारा उक्त सम्पत्ति को Axis Finance Ltd. शाखा कोटा में रहन रखकर ऋण दिया जा रहा है। यह कि उक्त सम्पत्ति को रहन रखकर ऋण देने के व विधिक वारिसान के सम्बंध में किसी आम व्यक्ति, बैंक, या संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

अजय शर्मा, एडवोकेट
दिनांक: 04.09.2025 मो. 7073030526, 8239229798

कार्यालय नगर पालिका मण्डल केशवराय पाटन
जिला – बून्दी (राज0)
npalika3@gmail.com ph.no. 07438-264346

क्रमांक :–1739–40 **प्रेस नोट** दिनांक :– 03.09.2025

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.09.2025 से 02.10.2025 तक '' शहर चलो अभियान–2025 '' का आयोजन किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य किये जाने है –

साफ–सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर व नई लाइट लगाना, टूटे फेरोकवर व क्रॉस सही कराना, ब्लैक स्पॉट सही करवाना, पेच वर्क, सार्वजनिक पार्कों की साफ–सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की साफ–सफाई व रिपेयर, सीवरेज कनेक्शन व रिपेयर, कार्यालय में पेडिंग पत्रावलियों का निस्तारण, विभिन्न प्रकार के पट्टे (स्टेट ग्राण्ट, कच्ची बस्ती 69ए, कृषि भूमि), भू–उपयोग परिवर्तन, खाचां भूमि, नामान्तरण, भवन निर्माण मंजूरी, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेण्डर रजि., उप–विभाजन–एकीकरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, जन्म–मृत्यु विवाह पंजीयन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्व–निधि योजना/प्रधानमंत्री स्व–निधि योजना के तहत आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन, एसबीएम 2.0 के अन्तर्गत घरेलू शौचालय निर्माण हेतु आवेदन।

पालिका द्वारा उक्त कैम्पों के लिए समस्याओं को चिन्हित करने एवं आवेदन प्राप्त करने के लिए वार्ड वार निम्नानुसार अभियान पूर्व तैयारी कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है –

क्र.सं.	दिनांक	वार्ड सं.	शिविर स्थान व समय
1	04.09.2025	1,2,24,25	MSGRY कार्यालय वार्ड नं. 02 पुलिस थाने के पास
2	08.09.2025	3,4,5,6	श्रीराम धर्मशाला समय प्रातः 11.00 बजें से सायः 05.00 बजें तक
3	09.09.2025	7,8,9,10	
4	10.09.2025	11,12,13,14	
5	11.09.2025	15,16,17,18	
6	12.09.2025	19,20,21,22,23	

आम लोगों से अनुरोध है कि उक्त शिविरों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर के राज्य सरकार के द्वारा किये जाने वाले कार्यो का लाभ उठाया तथा कैम्प में आकर आवेदन करें ताकि आपकी समस्याओं का 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर के मध्य समाधान करके लाभानवित किया जा सकें।

राज.संवाद/सी/25/9360 **अधिशाषी अधिकारी**

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1490 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 4.9.25

आवास संख्या 2-च-2 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री भूदेव पालीवाल पुत्र श्री जीवा राम पालीवाल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री भूदेव पालीवाल पुत्र श्री जीवा राम पालीवाल द्वारा दिनांक 17.08.1983 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री भूदेव पालीवाल पुत्र श्री जीवा राम पालीवाल की मृत्यु दिनांक 20.12.2000 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती प्रेम कुमारी पालीवाल की मृत्यु दिनांक 10.08.2014 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री अजय कुमार पालीवाल पुत्र स्व. श्री भूदेव पालीवाल व श्रीमती निधि सिंघवी पुत्री स्व. श्री भूदेव पालीवाल पत्नी डॉ. संजय सिंघवी द्वारा उक्त आवास में निहीत अपने हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 10.09.2015 को श्री राजीव पालीवाल पुत्र स्व. श्री भूदेव पालीवाल के पक्ष में किया गया। श्री राजीव पालीवाल पुत्र स्व. श्री भूदेव पालीवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-च-2 दादाबाड़ी कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री राजीव पालीवाल पुत्र स्व. श्री भूदेव पालीवाल के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/ प्रतिस्थापन श्री राजीव पालीवाल पुत्र स्व. श्री भूदेव पालीवाल के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री राजीव पालीवाल पुत्र स्व. श्री भूदेव पालीवाल के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1484 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 3.9.25

आवास संख्या 4-एफ-7 दादाबाड़ी विस्तार योजना, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री खेमसिंह पुत्र श्री कुवंर सिंह को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती कमला पारिक पत्नी श्री ओम प्रकाश पारिक के नाम दिनांक 24.12.1994 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती कमला पारिक पत्नी श्री ओम प्रकाश पारिक द्वारा दिनांक 26.12.1994 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती कमला पारिक पत्नी श्री ओम प्रकाश पारिक की मृत्यु दिनांक 21.04.2025 को हो चुकी है। श्रीमती कमला पारिक पत्नी श्री ओम प्रकाश पारिक द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 09.05.2023 को श्री नितेश पारीक पुत्र श्री ओम प्रकाश पारीक के पक्ष में आलेखित की गई। श्री नितेश पारीक पुत्र श्री ओम प्रकाश पारीक द्वारा आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री नितेश पारीक पुत्र श्री ओम प्रकाश पारीक के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री नितेश पारीक पुत्र श्री ओम प्रकाश पारीक के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री नितेश पारीक पुत्र श्री ओम प्रकाश पारीक के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)
email : nnkota@gmail.com, websites : www.kotamc.org

क्रमांक :- ननिको(3)/निर्माण/2025/4755 - 68 दिनांक :- 29/08/2025

ई-निविदा सूचना

नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा विभिन्न राजकीय अभियांत्रिकी विभागों के पंजीकृत "A", "AA" श्रेणी एवं नगर निगम कोटा उत्तर में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता हैं कि नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा कुल 08 कार्य हेतु ई–निविदा सूचना संख्या–13/2025–26 से सम्बन्धित कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत,निविदा बैचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम कोटा उत्तर की वेबसाइट **www.kotamc.org, http/eproc.rajasthan.gov.in** एवं **sppp.raj.nic.in** पर देखी जा सकती है।

NIB No. DLB2526A5349, UBN No. : DLB2526WSOB16395, 16396, 16397, 16400, 16401, 16404, 16405, 16406

राज.संवाद/सी/25/9288 **अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम कोटा-उत्तर**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ-15/क.भू.रू./2025/1010 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 3.9.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना "शक्ति विहार" खसरा नं. .301 में स्थित भूखण्ड संख्या 50-बी के ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्री राजेश मीणा पुत्र श्री राम सिंह मीणा निवासी 201-बी, सन सिटी तेखड़ा रोड़, बोरखेड़ा, कोटा राज. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या 50-बी का पट्टा क्रमांक 2966 दिनांक 09.02.2024 को श्रीमती मुखलिस बेगम पत्नि श्री जुल्फेकार अली पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा भूखण्ड संख्या 50-बी का बेचान जर्ये पंजीकृत मुख्तार आम श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री बफाती खान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2025 से श्री राजेश मीणा पुत्र श्री राम सिंह मीणा को कर दिया गया हैं।

अतः श्री राजेश मीणा पुत्र श्री राम सिंह मीणा के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ-15/क.भू.रू./2025/1022 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 4.9.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी योजना "शिवम एनक्लेव" खसरा नं.122 में स्थित भूखण्ड संख्या 6 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री अशोक जैन निवासी मकान नं. 33, 34 बालाजी टाउन बालिता रोड कोटा राज. द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 602 दिनांक 23.05.2023 को श्री निकेत चौधरी पुत्र श्री जगवीर चौधरी के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखंड का बेचान जर्ये पंजीकृत मुख्तार आम श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रेवती रमण शर्मा द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2025 से श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री अशोक जैन को कर दिया गया है।

अतः श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री अशोक जैन के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ-15/क.भू.रू./2025/1023 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 4.9.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी योजना "शिवम एनक्लेव" खसरा नं.122 में स्थित भूखण्ड संख्या 102 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री अक्षत जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन निवासी मकान नं. 758 कासिम गली कोटा जंक्शन कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 574 दिनांक 23.05.2023 को श्री हरिश खण्डेलवाल पुत्र श्री राम बाबू खण्डेलवाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखंड का बेचान जर्ये अपंजीकृत मुख्तार आम श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रेवती रमण शर्मा द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2025 से श्री अक्षत जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन को कर दिया गया है।

अतः श्री अक्षत जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-1544 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:- 4.9.25

नगर विकास न्यास कोटा की श्रीरामकृष्णपुरम-बी आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 207 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 06.05.1998 को श्री सुभाष चंद जैन पुत्र श्री माणक चंद जैन को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री ओमप्रकाश जेठी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2014 को श्री पंकज जेठी पुत्र श्री ओ.पी. जेठी एवं श्रीमती मोनिका जेठी पत्नी श्री पंकज जेठी को विक्रय कर दिया गया है क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 207 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री पंकज जेठी पुत्र श्री ओ.पी. जेठी एवं श्रीमती मोनिका जेठी पत्नी श्री पंकज जेठी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-474 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:- 3.9.25

नगर विकास न्यास कोटा की विवेकानन्द नगर आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 226 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 24.09.2014 को श्री धर्मराज पुत्र श्री रामचरण को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2016 को श्रीमती गायत्री मीणा पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार मीणा को विक्रय कर दिया गया है क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 226 योजना विवेकानन्द नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती गायत्री मीणा पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार मीणा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ-15/क.भू.रू./2025/1020 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 4.9.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना "फ्रेण्डस कोलोनी" खसरा नं.188 में स्थित भूखण्ड संख्या 244 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में (1) श्रीमती शमीना अख्तर अगवान पत्नि श्री एम.ए.एस.अगवान (2) श्री एम.ए.एस अगवान पुत्र श्री ए.एन.अगवान निवासीगण-एच.आई.जी. 1/413, हाउसिंग बोर्ड, बोरसी दुर्ग, प्रगति मैदान, बोरसी दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 4747 दिनांक 17.02.2023 को श्री असलम पुत्र श्री अब्दुल वहीद के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जर्ये पंजीकृत मुख्तार आम श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री छोटे खां द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 10.07.2024 से (1) श्रीमती शमीना अख्तर अगवान पत्नि श्री एम.ए.एस. अगवान (2) श्री एम.ए.एस अगवान पुत्र श्री ए.एन. अगवान को कर दिया गया हैं।

अतः (1) श्रीमती शमीना अख्तर अगवान पत्नि श्री एम.ए.एस. अगवान (2) श्री एम. ए.एस अगवान पुत्र श्री ए.एन. अगवान के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ-15/क.भू.रू./2025/1021 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 4.9.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटड़ी योजना "फ्रेण्डस कॉलोनी" खसरा नं. 188 में स्थित भूखण्ड संख्या 237 के ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्री जाकीर हुसैन पुत्र श्री छोटे खान निवासी-194 नेहरू नगर नयापुरा कोटा राज. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या 237 का पट्टा क्रमांक 5057 दिनांक 27.03.2023 को श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल हमीद पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा भूखण्ड संख्या 237 का बेचान जर्ये पंजीकृत मुख्तार आम श्रीमती शहनाज पत्नि श्री अब्दुल वहीद जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2024 से श्री जाकीर हुसैन पुत्र श्री छोटे खान को कर दिया गया हैं।

अतः श्री जाकीर हुसैन पुत्र श्री छोटे खान के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

नेक्स्ट - जेन जीएसटी :
02 कर स्लैब क्रान्ति

सरलीकृत अनुपालन और बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता

"विकसित भारत बनाने के लिए ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहेंगे और हम 2047 तक विकसित भारत बना कर रहेंगे।"
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

व्यवसायों को लाभ

दो दर संरचना

जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत 99% से अधिक माल और सेवाएं अब या तो कर-मुक्त हैं या फिर निम्न कर श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं :

- 5% जीएसटी श्रेणी
- 18% जीएसटी श्रेणी

यह वर्गीकरण को सरल बनाएगा एवं मुकदमों में उल्लेखनीय कमी लाएगा

पंजीकरण

निम्नलिखित आवेदकों के लिए 3 कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित पंजीकरण :

- डेटा विश्लेषण के आधार पर सिस्टम द्वारा पहचान की गई
- जो यह निर्धारित करता है कि वह प्रति माह ₹2.5 लाख से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट पास नहीं करेगा और इस योजना का विकल्प चुनता है

इससे लगभग 96% नए आवेदकों को लाभ मिलेगा

रिफंड

सिस्टम आधारित जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से उचित अधिकारी द्वारा प्रोविजनल रिफंड की मंजूरी :

- शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए
- इनवर्टेड शुल्क संरचना वाली आपूर्तियों के लिए

इससे नकदी प्रवाह की बाधाएं कम होंगी और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा

अनुशंसित संशोधित दरों और अन्य माल एवं सेवा कर परिवर्तनों की पूरी सूची के लिए, कृपया स्कैन करें →

@cbic_india @cbicindia @CBICINDIA @cbicindia @CBICIndia www.cbic.gov.in

CBC 15502/13/0007/2526